न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

प्रशासन गाव के संग अभियान 2021, शिविर स्थान–गांधी नगर

पीठासीन अधिकारीः– पंकज बडगूर्जर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
230 / 2019	25 / 7 / 2019	15 / 12 / 2021

1. सावित्रीदेवी पत्नी स्व0 श्री सुरतीराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
2. सुमनदेवी पुत्री स्व0 श्री सुरतीराम पत्नी दिलभर जाति जाट निवासी राजवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी

2. सुमेरसिंह पुत्र स्व0 श्री सुरतीराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

तर0 प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिर्कोड

उपस्थितिः– श्री अरूण पण्डित एडवोकेट वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 15 / 12 / 2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर 2021 मुकाम गांधी नगर में पेश हुयी, वादीगण का वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 21 / 1.88 हैक्0, का 1 / 12 भाग वाके ग्राम बृसंगवास तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादी के पिता / पति सुरतीराम पुत्र फूलिया के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी, जिस पर वे अपने जीवनकाल में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे तथा उनकी दिनांक 5 / 10 / 1994 में फौतगी होने पर जरियें विरास्त मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादी को विरास्त में प्राप्त हुयी है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरास्त का इन्तकाल दर्ज करते समय मिन वादीया स0 1 व 2 को बिना बुलावे व बिना सुनवाई का अवसर दिये अनुउपस्थिति में क्रमशः सरबती पत्नी सुरतीराम व केला पुत्री सुरतीराम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर दिया, जिससे उक्त गलत नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज रहने से भारी नुकसान हो रहा है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है, निवेदन करते हुये मिन वादीया स0 1 का नाम सरतबी पत्नी सुरतीराम व मिन वादी स0 2का नाम केला पुत्री सुरतीराम को हजफ कर, मिन वादीया स0 1 का सही नाम सावित्री पत्नी सुरतीराम व मिन वादी स0 2 का सही नाम सुमनदेवी पुत्री सुरतीराम राजस्व रिर्कोड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर, राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलवी प्रतिवादी स0 2 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं प्रतिवादी स0 1 द्वारा बाद तलवी जवाब पैरोकार पेश हुआ, मुताबिक जवाब पैरोकार जिम्मन न0 1 की हद तक स्वीकार अंकित करते हुये जिम्मन न0 2 ल0 7 वादी स्वंय सिद्व करे, एवं जिम्मन न0 8 न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाबत है , का अंकन करते हुये जिम्मन [illegible] दावे को स्वंय सिद्व करे का अंकन करते हुये जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी [illegible] नामान्तरण स0 333 वाके ग्राम बृसगवास , नकल जमाबन्दी सम्व[illegible] तथा छाया प्रतिया आधार कार्ड, एवं मतदाता पहचान पत्र, छाया [illegible] किये जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सावित्रीदेवी पी.डब्लू – 1, शपथ पत्र श्योदान [illegible] उमराव पी.डब्लू–2 पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। द्वौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को द्वौराते हुये अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्रों को निवेदित करते हुये विवादित आराजी हाल ख0न0 21 / 1.88 हैक्0 के 1 / 12 भाग वाके ग्राम बृसगवास तह0 मुण्डावर के बाबत हो रहे अंकन वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

स0 1 सरबती पत्नी सुरतीराम के बजाय सावित्री पत्नी सुरतीराम एवं वादीया स0 2 केला पुत्री सुरतीराम के बजाय सुमन देवी पुत्री सुरतीराम राजस्व रिर्कोड में दर्ज किये जानें का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सूनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा हाल आराजी ख0न0 21 /1.88 हैक्0, के 1/12 भाग वाके ग्राम बृसंगवास तहसील मुण्डावर के बाबत के नाम दुरूस्ती के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिर्कोड में वादीया स0 1 का नाम सरबती पत्नी सुरतीराम एवं वादीया स0 2 केला पुत्री सुरतीराम नामों को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं सरबती पत्नी सुरतीराम के बजाय सावित्री पत्नी सुरतीराम व केला पुत्री सुरतीराम के बजाय सुमनदेवी पुत्री सुरतीराम नाम का हाल राजस्व रिर्कोड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावे । तद्दानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 15/12/2021 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर, न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, सरे प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर गांधी नगर में सुनाया गया।

पंकज बडगूजर
उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
जिला अलवर, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज बडगूर्जर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	**पर्चा डिक्री दिनांक**
230 / 2019	25 / 7 / 2019	15 / 12 / 2021

1. सावित्रीदेवी पत्नी स्व0 श्री सुरतीराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
2. सुमनदेवी पुत्री स्व0 श्री सुरतीराम पत्नी दिलभर जाति जाट निवासी राजवाडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0

प्रतिवादी

2. सुमेरसिंह पुत्र स्व0 श्री सुरतीराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

तर0 प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिर्कोड

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अरूण पण्डित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15 / 12 / 2021 को पकज बडगूर्जर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष प्रशासन गाव के संग अभियान कैम्प गांधी नगर मे अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय वादीगण के दावे को डिकी किये जाने योग्य पाता है। अतः हाल खं0नं0 21 / 1.88 है0, के 1 / 12 भाग वाके ग्राम बृसंगवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर में वादीया स0 1 का नाम सरबती पत्नी सुरतीराम एवं वादीया स0 2 केला पुत्री सुरतीराम नामों को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं सरबती पत्नी सुरतीराम के बजाय सावित्री पत्नी सुरतीराम व केला पुत्री सुरतीराम के बजाय सुमनदेवी पुत्री सुरतीराम नाम का हाल राजस्व रिर्कोड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिर्कोड में अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें व निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 15 / 12 / 2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:40:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बडगूर्जर)